

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-135/90आर)/अलेसे-11/19740-46 दिनांक :- 14.08.2015

कार्यालय आदेश

कार्यालय उपायुक्त (कार्मिक) नगर निगम जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.5 कार्मिक/सा.प्र./ननिज/2015/363 दिनांक 11.08.2015 के अनुसार श्री कैलाश चन्द गुप्ता सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिनक नं. 3145) का दिनांक 22.06.2015 को निधन होने की कारण इनका नाम राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से दिनांक 22.06.2015 से पृथक किया जाता है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (वि) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-135/90आर)/अलेसे-11/19740-46 दिनांक :- 14.08.2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त नगर निगम जयपुर।
2. उपायुक्त (कार्मिक) नगर निगम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अनुपात्मक नियुक्ति हेतु पात्रता हो तो निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आपके माध्यम से इस निदेशालय में प्रेषित करें।
3. श्रीमति कुसुम लता खण्डेलवाल पति स्व: श्री कैलाश चन्द गुप्ता मार्फत, 52 कृष्णा नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक, विधि/जॉच।
5. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)